(40)

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 730–।।।/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–6–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 77/2007–08/निगरानी

जगदीश शर्मा चेला स्वर्गीय श्री गणेशचन्द्र
उर्फ गंगाधर जाति ब्राहम्ण निवासी कस्वा
बडोदा, जिला श्योपुर (म.प्र.) .....आवेदक

विरूद्ध

1– रामजीलाल शुक्ला पुत्र धासीराम
जाति ब्राहम्ण
2– मदनमोहन पुत्र रामदयाल शुक्ला
जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम
टेटरा, तहसील सबलगढ, जिला
मुरैना (म.प्र.) .....अनावेदकगण

———

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरान्त अनुपस्थित)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 1-2 2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 77/2007–08/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–6–2009 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कस्वा बडौदा, तहसील श्योपुर स्थित भूमि रकवा 16 बीघा 9 विस्वा के रिकार्डेड भूमिस्वामी गणेशचन्द्र उर्फ गंगाधर

पुत्र श्री कन्हैयाराम शर्मा थे। भूमिस्वामी की मृत्यु होन जाने के कारण वारिसाना नामान्तरण किये जाने हेतु अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण कमांक 29/2006–07/अ–6 पर दर्ज किया जाकर नामांतरण किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई प्रकरण के लंम्वित रहने के दौरान आवेदक द्वारा उक्त विवादित भूमियों पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने वावत आवेदन पेश किया । किंतु उक्त प्रकरण अनावेदकगण की अनुपस्थिति में दिनांक 7–9–2007 को अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसकी जानकारी होने पर अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा संहिता की धारा–35(3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर में लेने का निवेदन किया जिस पर से तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण दिनांक 5–12–2007 को पुनः नंबर पर लिये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर, जिला श्योपुर के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 10/2007–08 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 11–2–2008 के द्वारा निरस्त की गई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, चंबल सभांग मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 77/200–08/निगरानी पर दर्ज की जाकर, आदेश दिनांक 11–6–2009 को निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आलोच्य आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के विद्धान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि, तहसीलदार महोदय ने अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोर्ट फीस चंस्पा न होने के बावजूद भी प्रकरण को दर्ज किया जाने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण का प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया था उक्त प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त हो जाने से अनावेदक द्वारा दिनांक 19–9–2007 को उपस्थित होकर म.प्र.भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 35(3) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण पुनः प्रारंभ किया गया हैं जबकि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया था। इसके बाबजूद बिना सुनवाई किये प्रकरण पुनः नम्बर पर ले लिया है।

उनका तर्क यह भी है कि, अनावेदकगण द्वारा रिश्तेदारी मे गमी होने का दिनांक व स्थान का लेख नहीं किया गया है और रिश्तेदारी में गमी होने का बनावटी आवेन प्रस्तुत किया गया है। शोक सन्देश अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया और नाही साक्षी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इन सभी तथ्यों को अनदेखा कर तहसीलदार महोदय द्वारा विधिविरूद्ध आदेश पारित है। जिसे कलेक्टर महोदय एंव अपर आयुक्त महोदय द्वारा यथावत रखने में वैधानिक भूल की गई है। अतं में उनक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजो एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा नामांतरण किये जाने हेतु दिनांक 6–2–2007 को आवेदन पेश किया तत्पश्चात दिनांक 21–2–2007 को अपने कथन अंकित कराये गये तथा पेशी दिनांक 30–6–2007 को साक्ष्य कराया गया। इसके वाद तहसीलदार न्यायालय द्वारा मूल वसीयत एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण में पेशी दिनांक 30–7–2007 नियत की। इस प्रकार आवेदक का यह कहना कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण आवेदन प्रस्तुत करने के वाद उपस्थित नहीं हुए है तहसीलदार के प्रकरण में पेशी दिनांक 30–7–2007 को अनावेदकगण के उपस्थित न होने से आवेदकगण की आपत्ति प्रति के साथ जबात हेतु पेशी दिनांक 7–9–2007 नियत की गई। प्रकरण में उक्त दिनांक को जारी सूचना पत्र संलग्न नहीं है और न ही उक्त सूचना पत्र अनावेदकगण पर तामीली किये जाने के संबंघ में पेशी दिनांक 7–9–2007 की आदेश पत्रिका में उल्लेख है। सूचना पत्र तामीली होने के संबंध मे जानकारी नहीं होने के बाबजूद भी तहसीलदार द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया।

विचारणीय बिन्दु यह है कि, अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष अदम पैरवी के आदेश को निरस्त कराये जाने वावत् समयसीमा में एक माह के अन्दर प्रकरण को पुनः नंबर पर लिये जाने का विधिवत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण तहसीलदार द्वारा प्रकरण को पुनः नंबर पर लिये जाने का जो आदेश पारित

किया है वह उचित है। जिसे कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा यथावत रखे जाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। तथा अपर आयुक्त, चम्बल सभांग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 77/2007–08/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–6–2009 विधिसंमत होने से यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो, प्रकरण दाखिला रिकार्ड हों।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर